



चुना के समाप्त न कर दिये जायें।

क्र.सं०	पदनाम	वेतनमान	प्रतिविद्यालय पदों की संख्या	सृजित होने वाले पदों की संख्या	श्रेणीगत प्रदान क्र.
1	2	3	4	5	
1-	प्रधानाचार्य	2200-75-2800 दरमि०-199-4000	1	1	4-
2-	प्रध्वता हण्टर कालेज स्नातको -त्तर	1600-50-2300 दरमि०-60-2660	9	3	5-
3-	वरिष्ठ सहायक	1200-30-1560	1	1	6-
4-	लेव क्लियर	750-12-870- दरमि०-14-940	3	3	7-

3- राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि जब तक कि कोई स्थायी पदों में प्रधानाध्यापक के पद जो वेतन क्रम ₹ 20 770-1600 प्रतिमा के वेतन समये 2000-35000 में है यदि अस्थाई हो तो इस प्रावधानों में इस प्रधानाचार्य समये 2200-4000 के पद पर अस्थाई नियुक्ति की तिथि के तत्पश्चात् रखा जाय। यदि स्थाई हो तो उक्त तिथि के 3 मं अस्थाई में रखा जाय।

4- उपरोक्त परिभाग-2 में सृजित पदों के धारकों को तत्पश्चात् पर जारी किये जा सकने के अनुसार मंडाई अर्थात् तथा अन्य बातों के हानि त्तर के पद शिक्षा विभाग से संबंधित संवर्ग में अस्थाई वृद्धि के सम में माने जायें।

5- उपरोक्त प्रवर्गगत राजकीय हण्टर कालेजों के संयोजक राज्यपाल महोदय प्रति विद्यालय 620000 वासठ हजार समये प्रत्येक की दर से कुल ₹ 2480000/-

१ चौबीस लाख अस्सी हजार १ निम्नलिखित मदों पर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1-	कक्षा-कक्षा निर्माण	रुपया 20,000/-
2-	विज्ञान उपकरणों का क्रय	रुपया 20,000/-
3-	काष्ठोपकरण साज-सज्जा आदि	रुपया 15,000/-
4-	कार्यालय आकस्मिक व्यय	रुपया 22,000/-
5-	यात्रा व्यय	रुपया 5,000/-

योग 62,000/- ✓

6- परिभाग-5 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान नियमों तथा आदेशों के अनुसार दिया जाय। काष्ठोपकरण साज-सज्जा आदि का क्रय स्टोर पर्यंत रुक के अनुसार दिया जायगा।

7- राज्यपाल महोदय इस शालादिना में स्वीकृत इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य को अपने अपने विद्यालय से संबंधित व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करते हैं चूंकि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक 89-90 में नहीं है तथा व्यय आवश्यक एवं अपरहार्य है अतः राज्यपाल महोदय इन विद्यालयों के संवालयार्थ पैरा-5 में उल्लिखित मदों एवं स्वीकृत मदों के वेतनादि व्यय हेतु रुपये 7860000 अठहत्तर लाख साठ हजार रुपये मात्र की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति यथासमय अनुपूरक मांग द्वारा की जायेगी।

8- उपरोक्त व्यय प्रथम लेखन शीर्षक 8000 राज्य आकस्मिकता निधि के नामे तथा जन्मतः बालू वित्तीय वर्ष 1989-90 के अनुदान संख्या-47 के लेखन शीर्षक "2551-पहाड़ी क्षेत्र-60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-103-माध्यमिक शिक्षण-01-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-0105 राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर तक उच्चीकरण के सुसंगत हवाई के नामे डाला जायेगा।

भावदीय

H0 बागेश्वरी नारायण श्रीवास्तव  
संयुक्त सचिव

॥४॥

संख्या-वित्त ई-4/सी०एम०/276/दस-89

प्रतिलिपि महिलेखाकार द्वितीय लेखा व हकदारनी उत्तर प्रदेश  
इलाहाबाद को सूचनाार्थ प्रेषित ।  
आज्ञा से

हरवीर मंगल प्रसाद पाण्डेय  
अनु सचिव, वित्त विभाग

संख्या -5166/28-2-4॥1॥/89

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
- 1- शिक्षा निदेशक/अपर शिक्षा निदेशक/पर्वतीय लेखानुज ।
  - 2- उप शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीत तथा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षा पौड़ी कुमायूँ
  - 3- जिलाधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक-पौड़ी-कुमायूँ-मण्डल समस्त पर्वतीय जनपद ।
  - 4- शिक्षा अनुभाग-12/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-4/पर्वतीय अनुभाग-9/10 टेकनिकल सेल पर्वतीय विकास विभाग
  - 5- कोषाधिकारी/समस्त पर्वतीय जनपद ।
  - 6- निजी सचिव माननीय मुख्य मंत्री जी/उपासका द्वितीय/कुमायूँ मण्डल/राज्य मंत्री पर्वतीय विकास विभाग ।
  - 7- समस्त सचिव क्षेत्रीय कार्यालय पर्वतीय विकास विभाग कुमायूँ अल्मोड़ा गढ़वाल मण्डल श्री नगर को ।
  - 8- वित्त वेतन आयोग अनुभाग-1 तथा ॥2॥ तीन-तीन प्रतियों
  - 9- पर्वतीय विकास कम्प्यूटर सेल ।
  - 10- वित्त/बजट अनुभाग-2

आज्ञा से

H० बाणेश्वरी नारायण  
संयुक्त सचिव

कार्यालय शिक्षा निदेशक, उ०एम०, इलाहाबाद

संख्या-वित्त ई-4/सी०एम०/276/दस-89 दिनांक 10-  
11-89  
प्रतिलिपि सूचनाार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही  
महिलेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षक नैनीताल एवं पौडि गढ़वाल ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक पर्वतीय जनपद ।
- 4- संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, राजकीय इंटर कॉलेज/राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के प्राचार्य/प्राचार्या के साथ साथ शिक्षक/शिक्षिकाओं के साथ ।
- 5- उप शिक्षा निदेशक/पर्वतीय/उप शिक्षा निदेशक/सं-1/सहायक शिक्षा निदेशक/सेवायें-1 व 2/अभिनि/महिला/संघिन/नियुक्ति/राजपत्रित/प्रवक्ता/नियुक्ति-1, 2/अर्था/2/6/सा/नि/वि योजना अनुभाग लखनऊ ।
- 7- सचिव मा.यमिक शिक्षापरिषद उ०प्र०, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित विद्यालय को इंटर स्तर पर मान्यता प्रकी कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
- 8- विविधा सहायक एवं हाई स्कूल स्थापना सहायक/मा.यमिक/अनुभाग
- 9- गार्ड फत्रावली/2 प्रतियां/

16/07/89

के०एन०माली  
सहायक उप शिक्षा निदेशक/मा०  
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

प्रदेश  
म  
को हेतु प्रेषित  
नैताल  
मण्डल  
विकास  
गढ़वाल  
मण्डल  
जीवास्तव

क्रमांक 3166/28-2-89-411181/89 दिनांक 21 अक्टूबर, 1989

में उल्लिखित विभागों की सूची

-----

टिहरी

-----

विभाग- विचारी 30 मा० वि०, चौफी

30 मा० वि० करनपुर ॥ रामनगर ॥

30 मा० वि०, बाजपुर

30 मा० वि० तुलतानपुर ॥ बाजपुर ॥

30 मा० वि०, इनकटा ॥ छटी मा ॥

30 मा० वि० महआखेटा ॥ काशीपुर ॥

धौरागढ़

30 मा० वि० रा० उ० मा० वि० गंगोली हाट

30 मा० वि०, जौल जीवी

30 मा० वि०, सलतौला

30 मा० वि०, जैलकुमारी

मोडा

30 मा० वि० लक्ष्मण सिंह रा० उ० मा० वि०, बागी ॥ गार ॥ सल ॥

30 मा० वि०, कापली गैर ॥ ताबुला ॥

30 मा० वि०, कौपुटिया

30 मा० वि०, सुपेडा ॥ बागेश्वर ॥

श्री

30 मा० वि०, नौगाँव

30 मा० वि०, डामटा

दुवाल

30 मा० वि०, खिरीखाल ॥ नैनी डांडा ॥

तदैव- बमलाखाल ॥ कोटा ॥

तदैव- बिलखेत ॥ कल्जीखाल ॥

रीठाखाल ॥ सकेवरा

बी रोखाल

1- रा० उ० मा० वि० धण्डवालधार  
बैलवासी ॥ अखौली ॥

2- रा० उ० मा० वि० नाराइँटिवी ॥ देवप्रयाग ॥

3- रा० उ० मा० वि०, तैलसिलगढ़ ॥ अखौली ॥

4- रा० उ० मा० वि०, तैल नागरा आधार  
॥ चिलेडी ॥ की तिनगर ॥

5- रा० उ० मा० वि०, जाखनीधार ॥ आखणीधार ॥

6- रा० उ० मा० वि०, गालुधार ॥ प्रतापनगर ॥

7- रा० उ० मा० वि०, रणकोट ॥ नरेन्द्रनगर ॥

8- रा० उ० मा० वि०, धंधासवागर ॥ अखौली ॥

9- रा० उ० मा० वि०, रौणद रमोली  
॥ प्रतापनगर ॥

10- रा० उ० मा० वि०, रजखेत ॥ आखणीधार ॥

11- रा० उ० मा० वि०, सेण्डखाल ॥ धौलधार ॥

देहरादून

1- रा० उ० मा० वि०, किशनपुर ॥ राधपुर ॥

2- रा० उ० मा० वि०, दुधली ॥ डोईवाला ॥

3- रा० उ० मा० वि०, लखबाड़ ॥ कालसी ॥

4- रा० उ० मा० वि०, हरनर्तपुर ॥ विकासपुर ॥

चमोली

1- रा० उ० मा० वि०, देवलकोट ॥ गैरसेना ॥

2- रा० उ० मा० वि०, तपीवन ॥ जोशी मठ ॥

3- रा० उ० मा० वि०, चमकोट ॥ कण्ठियाग ॥

4- रा० उ० मा० वि०, नरापना ॥ बमडा ॥

॥ बागेश्वरी, नारायण श्रीवास्तव ॥  
संयुक्त सचिव ॥